



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275430
CG-DL-E-13082026-275430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]
No. 491]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, अगस्त 3, 2026

संदर्भ :HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS(1581).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 1885 (भाग 85) : 2003 आई ई सी 60050 (161) (1990) विद्युत तकनीकी शब्दावली	संशोधन संख्या 1 जुलाई 2026	2026 जुलाई 31	2027 जनवरी 30

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	भाग 85 विद्युत चुम्बकीय संगतता			
2	आई एस 9968 (भाग 1 : 2025 इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल्स — विशिष्टि भाग वोल्ट तक और इसमें 100 1 1 शामिल कार्यशील वोल्टेज के लिए (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जुलाई 2026	2026 जुलाई 31	2027 जनवरी 30

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./260/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2026

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS(1581).— In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No. Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 1885 (Part 85) : 2003 IEC 60050 (161) (1990) Electrotechnical Vocabulary Part 85 Electromagnetic Compatibility	Amendment No. 1 July 2026	31 July 2026	30 January 2027
2	IS 9968 (Part 1) : 2025 Elastomer Insulated Cables — Specification Part 1 for Working Voltages up to and Including 1 100 Volts (Second Revision)	Amendment No. 1 July 2026	31 July 2026	30 January 2027

S. K. VERMA, Scientist F & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Ext./260/2026-27]